

सुपरपॉवर एजेंसी बनकर ईडी आई

अभिनय आकाश

एक जमाना था जब लोग सीधी ईडी का नाम सुनते ही डर जाते थे। वक्त बदला और इन दिनों लोगों को दंबग फिल्म के चर्चित डॉयलाग थप्पड़ से डर नहीं लगता की माफिक प्यार से नहीं लेकिन ईडी से जरूर डर लगने लगा है। बादों के भरोसे मतदान करने वाले भारीतय मतदाताओं के लिए लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस घोषणापत्र लेकर आई। न्याय पत्र के नाम से जारी किए गए अपने घोषणापत्र में देश की सबसे पुरानी पार्टी ने कहा कि तो बहुकूनों को हाथियार की तरह प्रयोग करने, मनमाने ढंग से तलाशी, जब्ती और कुर्की, मनमानी गिरफतारियों को समाप्त करेंगी और बाद किया कि जमानत पर एक बाबा जानाया जाएगा जो इस सिद्धांत को शामिल करेगा कि जमानत नियम है, जेल अपवाह है। स्वतंधन की रक्षा खंड में लोकतंत्र को बचाना, डॉ को दूर करना, स्वतंत्रता बहाल करना अध्याय में शामिल इस बदे को प्रवर्तन निवेशलय (ईडी) की कार्रवाईयों और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के परोक्ष संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है। अधिनियम (पीएमएलए), 2002, वह कानून जो ईडी को भ्रष्टाचार के आरोपी राजनेताओं के खिलाफ दंडन्यक कार्रवाई करने का अधिकार देता है। ईडी यात्रा अंधन में कांग्रेस की शोयोगी सीधी ईडी (एम) ने जारी अपने घोषणापत्र में कहा कि वह यूएस (गैरकानों) गतिविधियों (रोकथाम) अधिकारियम और पीएमएलए जैसे सभी कठोर कानूनों को खत्म करने के पक्ष में है। दरअसल, पीएमएलए के कुछ सबसे कड़े प्रवधान अब विपक्षी नेताओं को नारज कर रखे हैं क्योंकि उनका उपयोग बिना मुकदमे के राजनेताओं की लंबी कैद सुनिश्चित करने के लिए किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए शासन के दोरान कानून में शामिल किए गए थे। 2014 के बद से भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भी पीएमएलए में बृद्धिशील लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पीएमएलए में जमाना, कानून का पूर्वायापी आवेदन, ईडी को दी जाने वाली व्यापक उपलिस शक्तियां शामिल हैं और जिस तरह से इसके प्रवधानों को लागू किया जाता है, उसे 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरी तरह से बरकरार रखा गया था। 27 जुलाई, 2022 को न्यायमूर्ति ए पीएमएलए की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीयों की पीठ ने पीएमएलए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। इसे 200 से अधिक व्यक्तिगत याचिकाओं के एक बैच में चुनींटी दी गई थी। पहली चुनींटी वेकल्पिक आपाराधिक कानून प्रयाणी के खिलाफ थी जिसे पीएमएलए बनाता है। ईडी को आपाराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीए) के दोरान से बाहर रखा गया है। ईडी को पूर्वलिंग नहीं माना जाता है और इसके बाद वह तलाशी, जब्ती, गिरफतारी और संपत्तियों की कुकी के लिए सीआरपीए के प्रवधानों का पालन नहीं करता है। ईडी एक पुलिस एजेंसी नहीं है, इसलिए किसी आरोपी द्वारा ईडी को दिए गए व्यापार अदालत में संवीकार हैं। विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में फैसले ने ईडी की इन व्यापक शक्तियों को बरकरार रखा। हालांकि, संसद ने वित्त अधिनियम, 2018 के माध्यम से पीएमएलए में संशोधन करके उन्हें व्यापक डाल दिया। इसे 2021 के फैसले द्वारा बरकरार रखा गया था। 2021 के फैसले के कुछ हिस्से ईडी आरोपी को ईसीआईआर के (एक आपाराधिक मामले में एफआईआर के समान) का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है। समीक्षीयोंने, यह फैसला अब देखा का कानून है, क्योंकि वहाँ है फैसले पर अमल पर कोई रोक नहीं।

राजनीतिक आत्मा का प्रत्यारोपण

अजय बोकिल

इस देश में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते नेताओं का दल बदलना और युद्ध के दौरान ही घोड़ा बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन चलते तुनाव में एक पार्टी प्रवक्ता का अचानक घोर विराधी पार्टी का दामन थाम कर उसका स्तुतिगान शुरू कर दें। देंड क्या बल्कि यूं कहें कि तो बहुकूनों को हाथियार की तरह प्रयोग करने, मनमाने ढंग से तलाशी, जब्ती और कुर्की, मनमानी गिरफतारियों को समाप्त करेंगी और बाद किया कि जमानत पर एक बाबा जानाया जाएगा जो इस सिद्धांत को शामिल करेगा कि जमानत नियम है, जेल अपवाह है। स्वतंधन की रक्षा खंड में लोकतंत्र को बचाना, डॉ को दूर करना, स्वतंत्रता बहाल करना अध्याय में शामिल इस बदे को प्रवर्तन निवेशलय (ईडी) की कार्रवाईयों और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के परोक्ष संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है। अधिनियम (पीएमएलए), 2002, वह कानून जो ईडी को भ्रष्टाचार के आरोपी राजनेताओं के खिलाफ दंडन्यक कार्रवाई करने का अधिकार देता है। ईडी यात्रा अंधन में कांग्रेस की शोयोगी सीधी ईडी (एम) ने जारी अपने घोषणापत्र में कहा कि हम यूएस (गैरकानों) गतिविधियों (रोकथाम) अधिकारियम और पीएमएलए जैसे सभी कठोर कानूनों को खत्म करने के पक्ष में है। दरअसल, पीएमएलए के कुछ सबसे कड़े प्रवधान अब विपक्षी नेताओं को नारज कर रखे हैं क्योंकि उनका उपयोग बिना मुकदमे के राजनेताओं की लंबी कैद सुनिश्चित करने के लिए किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए शासन के दोरान कानून में शामिल किए गए थे। 2014 के बद से भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भी पीएमएलए में बृद्धिशील लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पीएमएलए में जमाना, कानून का पूर्वायापी आवेदन, ईडी को दी जाने वाली व्यापक उपलिस शक्तियां शामिल हैं और जिस तरह से इसके प्रवधानों को लागू किया जाता है, उसे 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरी तरह से बरकरार रखा गया था। 27 जुलाई, 2022 को न्यायमूर्ति ए पीएमएलए की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीयों की पीठ ने पीएमएलए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। इसे 200 से अधिक व्यक्तिगत याचिकाओं के एक बैच में चुनींटी दी गई थी। पहली चुनींटी वेकल्पिक आपाराधिक कानून प्रयाणी के खिलाफ थी जिसे पीएमएलए बनाता है। ईडी को पूर्वलिंग नहीं माना जाता है और इसके बाद रखा रखा रखा रखा था। 2021 में अप्रीम कोर्ट द्वारा यूपीए शासन के दोरान कानून में शामिल किए गए थे। 2014 के बद से भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भी पीएमएलए में बृद्धिशील लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पीएमएलए में जमाना, कानून का पूर्वायापी आवेदन, ईडी को दी जाने वाली व्यापक उपलिस शक्तियां शामिल हैं और जिस तरह से इसके प्रवधानों को लागू किया जाता है, उसे 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरी तरह से बरकरार रखा गया था। 27 जुलाई, 2022 को न्यायमूर्ति ए पीएमएलए की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीयों की पीठ ने पीएमएलए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। इसे 200 से अधिक व्यक्तिगत याचिकाओं के एक बैच में चुनींटी दी गई थी। पहली चुनींटी वेकल्पिक आपाराधिक कानून प्रयाणी के खिलाफ थी जिसे पीएमएलए बनाता है। ईडी को पूर्वलिंग नहीं माना जाता है और इसके बाद रखा रखा रखा रखा था। 2021 में अप्रीम कोर्ट द्वारा यूपीए शासन के दोरान कानून में शामिल किए गए थे। 2014 के बद से भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भी पीएमएलए में बृद्धिशील लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पीएमएलए में जमाना, कानून का पूर्वायापी आवेदन, ईडी को दी जाने वाली व्यापक उपलिस शक्तियां शामिल हैं और जिस तरह से इसके प्रवधानों को लागू किया जाता है, उसे 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरी तरह से बरकरार रखा गया था। 27 जुलाई, 2022 को न्यायमूर्ति ए पीएमएलए की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीयों की पीठ ने पीएमएलए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। इसे 200 से अधिक व्यक्तिगत याचिकाओं के एक बैच में चुनींटी दी गई थी। पहली चुनींटी वेकल्पिक आपाराधिक कानून प्रयाणी के खिलाफ थी जिसे पीएमएलए बनाता है। ईडी को पूर्वलिंग नहीं माना जाता है और इसके बाद रखा रखा रखा रखा था। 2021 में अप्रीम कोर्ट द्वारा यूपीए शासन के दोरान कानून में शामिल किए गए थे। 2014 के बद से भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भी पीएमएलए में बृद्धिशील लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पीएमएलए में जमाना, कानून का पूर्वायापी आवेदन, ईडी को दी जाने वाली व्यापक उपलिस शक्तियां शामिल हैं और जिस तरह से इसके प्रवधानों को लागू किया जाता है, उसे 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरी तरह से बरकरार रखा गया था। 27 जुलाई, 2022 को न्यायमूर्ति ए पीएमएलए की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीयों की पीठ ने पीएमएलए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। इसे 200 से अधिक व्यक्तिगत याचिकाओं के एक बैच में चुनींटी दी गई थी। पहली चुनींटी वेकल्पिक आपाराधिक कानून प्रयाणी के खिलाफ थी जिसे पीएमएलए बनाता है। ईडी को पूर्वलिंग नहीं माना जाता है और इसके बाद रखा रखा रखा रखा था। 2021 में अप्रीम कोर्ट द्वारा यूपीए शासन के दोरान कानून में शामिल किए गए थे। 2014 के बद से भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भी पीएमएलए में बृद्धिशील लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पीएमएलए में जमाना, कानून का पूर्वायापी आवेदन, ईडी को दी जाने वाली व्यापक उपलिस शक्तियां शामिल हैं और जिस तरह से इसके प्रवधानों को लागू किया जाता है, उसे 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरी तरह से बरकरार रखा गया था। 27 जुलाई, 2022 को न्यायमूर्ति ए पीएमएलए की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीयों की पीठ ने पीएमएलए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। इसे 200 से अधिक व्यक्तिगत याचिकाओं के एक बैच में चुनींटी दी गई थी। पहली चुनींटी वेकल्पिक आपाराधिक कानून प्रयाणी के खिलाफ थी जिसे पीएमएलए बनाता है। ईडी को पूर्वलिंग नहीं माना जाता है और इसके बाद रखा रखा रखा रखा था। 2021 में अप्रीम कोर्ट द्वारा यूपीए शासन के दोरान कानून में शामिल किए गए थे। 2014 के बद से भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भी पीएमएलए में बृद्धिशील लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

